न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 21/21 बउनवानी रामसिंह निवासी दौलतपुरा बनाम राजस्व

उपस्थित 1. श्री गोविन्द प्रकाश शर्मा एड 2. श्री तौफिक मोहम्मद पैरोकार राजस्व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	ता. अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुआ
12.03.2022	प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान 2022 के तहत सुलह समझोते की भावना से निस्तारण योग्य होने के कारण चिहिन्त किये जाने के कारण यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। अपीलान्ट वकील ,पैरोकार सरकार सरकार राजस्व एवं राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित है। सुलह समझौते के तहत दौराने सुनवायी वकील अपीलान्ट ने कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा मिसल संख्या 21/21 में ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार की आराजी खसरा नम्बर 3121 रकबा 2.00 बीघा किस्म बंजड़ की भूमि में सम्वत 2077 में जौ की फसल काश्त करना अंकित करते हुए अतिकर्मी माना है एवं दिनांक 6/10/20 को आदेश जैर अपील पारित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ अतिक्रमी मानकर 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।किन्तु अपीलान्ट वकील द्वारा विवादित अतिक्रमित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील से अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ करने बाबत निवेदन किया है , इस सम्बन्ध में पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें। उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलान्ट ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसको खाली करने बाबत् एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने का कथन किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटाने की शर्त पर यह अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 6/10/20 में बेदखली, शास्ति आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर सजा माफ की जाती है।	रजिस्टर्ड नकल निर्णय मय पत्रावली संख्या 196/2020 तारीख निर्णय 6/10/20 तहसीलदार/नायब तहसीलदार खण्डार को भेजी। दिनांक 22-3-22

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:51:59 IST
Reason: SelfAttested